



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2020/00001(4/2020)

दर्ज तिथि:-20.01.2020

1. नवाराण पुत्र धरमाराम
जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी, आमलियाला तहसील गुडामालानी-बाड़मेर
2. स्व0 जेठाराम फौत कायम मुकाम
2/1. मीरों उम्र 10 वर्ष
2/2. वागाराम उम्र 8 वर्ष नाबालिंग की कुदरती वल्ली माता श्रीमती लीलादेवी पत्नी
स्व0 जेठाराम
जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी, आमलियाला तहसील
गुडामालानी-बाड़मेर

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगाराम पुत्र काछबा
जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी, आमलियाला तहसील गुडामालानी-बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुडामालानी-बाड़मेर
3. बेसराराम पुत्र कूम्पाराम
4. हरकनराम पुत्र कूम्पाराम
5. देवाराम पुत्र कूम्पाराम
6. गेनाराम पुत्र कूम्पाराम
7. अमरुदेवी पत्नी कूम्पाराम
जाति रबारी निवासी सोनगिरी की ढाणी, आमलियाला तहसील गुडामालानी-बाड़मेर

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता

प्रार्थी:- श्री चिमनसिंह चौधरी

प्रतिवादीगण:-1. श्री जगदीश विश्णोई

2.श्री रामजीवन विश्णोई

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-251ए

राजस्थान काश्तकारी अधि.-1955



251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.

(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.

(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है-

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form 1, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land

7. राजस्थान कारशतकारर अधरनररड-1955 की धारा-251-क एवं राजस्थान कारशतकारर (सरकार) नररड-1955, के नररड 68 लगाडत 70 ददरर अधररररररर उक्त डूरुवशरुतु के तहत डुरकरण कार वरशुलेषण कररर डरनर अपेक्षरत है। सरुवडुरथड उक्त डुरकरण डें डुररथुीगण नुे अडने डुररथनर डुरतुर के डुरैर संखुडर-3 डें ररसुते की आतुडरनुतरक आवशुकरतर कार डरकर डुररर कररर है तथर अनुड डैकलुडरक ररसुते की अनुडडलडुधतर कार डरकर डुररर कररर डुरर है। सरथ ही तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 के डरनुदु संखुडर 1 से इस तथु की डुररुणरुड से डुररुषुठर हुुतर है। इस डुरकर डुररथुी के डुररथनर डुरतुर एवं तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 के अवलुकन से डुरथडदृषुठडर डुरतीत हुुतर है कर डुररथुीगण की खरतेदररर आररडी खसरर संखुडर 256/1 वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी तहसील गुडरडरलरनर तक डुरहुंकरने हेतु अपुररथुीगण की खरतेदररर आररडी खसरर संखुडर 257/1 वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी डें ररकरुडुड ररसुते कार अडरर है। डुरकरण डें डैकलुडरक ररकरुडुड ररसुतर की अनुडडरस्थतर ररकरुडुड एवं तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 के अवलुकन से सुडरुषुठर है। सरथ ही डुररथुी कुर डुररथनर डुरतुर एवं तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 अनुसर ररसुते की अतुडरनुतरक आवशुकरतर डुरतीत हुुतर है। अतः उक्त वरशुलेषण के अनुसर शरुत संखुडर 1 व 2 की डुररुणरुड से डुररुषुठर हुुतर है। इस डुरकर अतः डुररथुी कार नवीन ररसुते डरडडत अनुतुरष सुवीकर कररर डरनर उकरत डुरतीत हुुतर है। राजस्थान कारशतकारर अधरनररड-1955 की धारा 251-क के तहत आरुररररर शरुत संखुडर 1 व 2 की डुररुणरुड से डुररुषुठर हुुने से डुररथुी की आररडी तक नवीन ररसुतर ररकरुडुड डें दरुकर करने कार अनुतुरष सुवीकर कररर डरनर है। अब इसके डुरशुकरत तृतीड शरुत डरनुदु डुर वरशुलेषण कररर डरनर है कर उक्त नवीन ररसुतर करस आररडी डें से हुुकर करस रुरुत से हुुकर करतनी कुरडरई कार लघुतुतड डररुग ररसुतर कार अनुतुरष सुवीकर कररर डरनर है।
8. इस डुरकर राजस्थान कारशतकारर अधरनररड-1955 की धारा 251-क के तहत आरुररररर तीसरर शरुत के अनुसर नवीन ररसुते हेतु लघुतुतड डररुग कार वरकलुड डुर वरकरर कररर डरनर आवशुकरत है। डुरकरण डें डुररथुी ददररर डुररथुी की खरतेदररर आररडी खरतेदररर आररडी 256/1/28 डीघर वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी डें डुरहुंकर के डुररुडकन के लररु डुररुके डुर वरदुडडरन डररुग अपुररथुीगण की खरतेदररर आररडी खसरर संखुडर 257/1/32.17 डीघर करसुड डर.सुु. वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी डें ररकरुडुड ररसुते कार अडरर है। अतः डुररथुी ददररर अपुररथुीगण की खरतेदररर आररडी खसरर संखुडर 257/1 वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी के उतुतरर-डुरुवी डररुग से हुुकर नवीन ररकरुडुड ररसुतर हेतु नरवेदन कररर है। सरथ ही डुरकरण डें तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 15.06.2022 ददररर अपुररथुीगण की खरतेदररर आररडी खसरर संखुडर 256 वरके डुररड डुररनरगररी की ढरणी से हुुकर लघुतुतड डररुग कुर डुरसुतरररर वररर डुरर डुरर है। तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 15.06.2022 तथर 08.02.2020 के अवलुकन अनुसर डुररथुी ददररर आवेदरत तथर तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 डें हरुे रंग से अंकरत ररसुतर कार डररुग ही लघुतुतड डररुग डुरतीत हुुतर है। अतः राजस्थान कारशतकारर अधरनररड-1955 की धारा 251-क के तहत आरुररररर तीसरर शरुत के अनुसर नवीन ररसुते हेतु लघुतुतड डररुग कार वरकलुड डुररर डुररररररर तहसीलदरर गुडरडरलरनर की शरडरल डरसल ररडुररुत दरनरंक 08.02.2020 ददररर हरुे रंग से खसरर संखुडर 257/1 से हुुकर डुरसुतरररर डररुग कार वरकलुड कुर सुवीकर कररर डरनर उकरत डुरतीत हुुतर है। इस डरडडतु डुररथुी व अपुररथुीगण के डधुड नुडरडरलड के सडकुष सहडतर डुरदरन की गरुई है।

9. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 08.02.2020 को प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 08.02.2020 की मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में खसरा संख्या 257/1 से होकर हरे रंग से अंकन के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति हेतु भूमि उपलब्ध करवाने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थी उक्त नवीन रास्ते में समाहित हुई अप्रार्थीगणों की खातेदारी आराजी के बदले समान अवस्थिति पर समान रकबे व गुणवत्ता की भूमि उपलब्ध करवाने का विकल्प तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत करें। अतः

आदेश है कि

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी की दिनांक 08.02.2020 को प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात् विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 08.02.2020 की मौका जाँच रिपोर्ट प्रस्ताव में आराजी हाल खसरा संख्या 257/1 वाके ग्राम सोनगिरी की ढाणी में हरे रंग से प्रदर्शित रूट पर आंकलित लम्बाई एवं प्रार्थी द्वारा वांछित/इच्छित चौड़ाई, जो कि अधिकतम 30 फीट चौड़ाई का हो, के रास्ते में आयी भूमि के एवज में प्रार्थी द्वारा प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 256/1 एवं अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 257/1 वाके ग्राम सोनगिरी की ढाणी के मध्य के सेढे पर उभयपक्षकारों की ढाणियों को छोड़ते हुए समान रकबे की भूमि का अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने हेतु प्रदत्त सहमति के आधार पर नियमानुसार उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या-1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावे। इस नवीन रास्ते हेतु प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 256/1 एवं अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 257/1 वाके ग्राम सोनगिरी की ढाणी के मध्य के सेढे पर उभयपक्षकारों की ढाणियों को

छोड़ते हुए समान रकबे की भूमि को प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से कलमजन करते हुए अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज करने एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं। दिनांक 08.02.2020 की मौका जाँच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 10.10.2024 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर

सत्यमेव जयते

गुड़ामालानी